

कुलसचिव कार्यालय
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
उर्दू अरबी-फारसी विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

संख्या: 395 / उ0अ0फा0यू0 / रजि0 / 130 / 13

दिनांक : 23/09/2015

कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन)

कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 385 / उ0अ0फा0यू0 / रजि0 / 130 / 13 दिनांक 16/09/2015 में आशिक संशोधन करते हुए आदेश दिया है कि समस्त विषय प्रभारियों द्वारा प्रत्येक शैक्षिक सत्र में 02 ही बोर्ड ऑफ स्टडीज़ (बी0ओ0एस0) की बैठक आयोजित करायी जायेगी। यदि 02 से अधिक बैठक आहूत किया जाना आवश्यक हो तो औचित्य सहित इसकी पूर्व में अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।


उक्त आदेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

(डॉ० नाजिम हुसैन अल जाफरी)
कुलसचिव

पृ0सं०: 395 / उ0अ0फा0यू0 / रजि0 / 2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त विषय प्रभारी।
2. वित्त अधिकारी।
3. परीक्षा नियंत्रक कार्यालय।
4. निजी सचिव कुलपति / कुलसचिव।
5. वेब मास्टर / गार्ड फाइल।


(कुलसचिव)
dv